Website : www.prsuinv.ac.in E-mail ID- registrar@prsuniv.ac.in

प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

पत्रांक संख्या– पी0आर0एस0यू0 / सम्बद्धता / 1643 / 2022 दिनांक– 16/03 / 2022

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति महोदय द्वारा दिये गये आदेश दिनांकः 14.01.2022 के अनुपालन में **किरनलता सिंह महाविद्यालय, कौण्डर, असोथर, फतेहपुर, उ0प्र0** को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–पी0 आर0एस0यू0 / सम्बद्धता / 4081 / 2021 दिनांक 01.10.2021 में इंगित कमियों की पूर्ति के उपरांत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीत विज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र विषयों में **बी0ए0** एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विभान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं गणित विषयों में **बीएस–सी0 पाठ्यक्रम में** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2021–22 से सम्बद्धता** प्रदान की जाती हैः–

1. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–15(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. **यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या– 61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांकः 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या– 522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांकः 30 अप्रैल, 2021 तथा विश्वविद्यालय के पत्र दिनांकः 13.08.2021 के अनुसार उपलब्ध कराई जाने वाली अद्यतन सूचना के अधीन है।**
3. संस्था / महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष की 15 जुलाई तक प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. **संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता तथा निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की उपलब्धता की जॉच कराये जाने पर यदि महाविद्यालय में मानकानुसार शिक्षकों की उपलब्धता नही पाई जायेगी तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि प्रवेशित विद्यार्थियों की फीस के साथ विद्यार्थियों को उपलब्ध प्रवेश / सीटों की रिक्तियों के अनुसार अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरित करने का आदेश दे और विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत ऐसा आदेश सम्बन्धित सभी महाविद्यालयों तथा अन्य पक्षों पर बाध्यकारी होगा।**
5. संस्था की सम्बद्धता अवधि का पुनरीक्षण करने अथवा उसे समाप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कार्य परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।
6. विश्वविद्यालय के निर्देशों का अनुपालन करने मे विफल रहने पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद महाविद्यालय की सम्बद्धता का प्रत्याहरण कर सकती है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद किसी भी समय किसी भी महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करा सकती है। ऐसी निरीक्षण का शुल्क महाविद्यालय को देना होगा तथा अपनी संस्था को आकस्मिक निरीक्षण के लिए सदैव खुला रखना होगा तथा निरीक्षक / निरीक्षक मण्डल द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
7. सस्था सदैव अपने यहॉ राज्य सरकार / यू0जी0सी0 / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित रखेगी। शिक्षकों की अनुपलब्धता पाए जाने पर यह मानते हुए कि संस्था में विधिसम्मत् तरीके से पठन–पाठन नही हुआ है, विश्वविद्यालय संस्था के विद्यार्थियों की परीक्षा नही करायेगा।
8. अल्पसंख्यक संस्थाएं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति, अध्ययन नीति, पाठ्यचर्या तथा संस्था के उत्तम प्रबन्ध के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों तथा निर्गत मानकों का अनुपालन करेगी। महाविद्यालयों के Mismanagement तथा maladministration की दशा में विश्वविद्यालय महाविद्यालय की जांच करा सकेगा तथा जांच आख्या पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का निर्णय अल्पसंख्यक संस्था पर बाध्यकारी होगा।
9. महाविद्यालय अपने यहॉ ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लासेज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा नई शिक्षा नीति का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार करेंगे।

प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

10. महाविद्यालय अपने यहाँ लैंगिक भेदभाव निवारण समिति का गठन यू0जी0सी0 के प्राविधानों के अनुसार कर उसकी प्रतिलिपि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
11. महाविद्यालय अपनी **Website** का निर्माण कर उस पर महाविद्यालय की भूमि, उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं, शिक्षकों के अनुमोदन पत्र व उनके नाम, स्थायी तथा स्थानीय पता सहित, विद्यार्थियों की कक्षावार सूची, महाविद्यालय के परीक्षा परीणाम आदि सभी का विवरण इस पत्र के निर्गमन की तिथि से **01 माह में Website पर Upload करना** सुनिश्चित करेंगे।
12. महाविद्यालय में यू0जी0सी0/विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार निर्धारित शैक्षिक दिवसों की पढ़ाई प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करनी होगी, इसके लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार अतिरिक्त क्लासेज लगाकर उक्त की पूर्ति करना अनिवार्य है।
13. महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतन शिक्षकों को देना होगा।
14. सम्बद्धता शर्तो के उल्लंघन पर सम्बद्धता प्रत्याहरण किया जायेगा।

(एस0 के0 शुक्ल)
कुल सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. **प्रबन्धक/प्राचार्य, किरनलता सिंह महाविद्यालय, कौण्डर, असोथर, फतेहपुर, उ0प्र0।**
4. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. कुल सचिव कार्यालय।
6. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
7. सहायक कुल सचिव (सम्बद्धता)।
8. विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।

कुल सचिव।

UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006
www.kanpuruniversity.org

O.I. 2570203
V.C. : 2570450
REGI : 2570301 2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

पत्रांक: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./अनापत्ति/ 508 /2016

दिनांक: 30/01/2016

अनापत्ति

शासनादेश संख्या–2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2012 दिनांक: 09.08.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश संख्या–1963/सत्तर–2–2013–16(165)/2012 टीसी दिनांक: 11.12.2013 एवं शासनादेश संख्या–710/सत्तर– 2–2014–16(165)/2012 टी०सी०, दिनांक: 14 नवम्बर, 2014 के क्रम में अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक: 29.01.2016 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी श्रीमती किरन लता सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट, 371 हरिहरगंज, फतेहपुर द्वारा प्रस्तावित किरनलता सिंह महाविद्यालय, कौण्डर, असोथर, फतेहपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र विषय तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण एवं शासनादेश दिनांक: 09.08.2012 के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) (जिलाधिकारी के नामित सदस्य), फतेहपुर के पत्रांक: 75/एस0टी0–ए0डी0एम0/2014–15, दिनांक 21जनवरी, 2016 के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है–

1. पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में दर्शाई गई भूमि ग्राम कौण्डर, परगना गाजीपुर, तहसील फतेहपुर सदर, जिला फतेहपुर में स्थित गाटा संख्या 1218मि0/0.2318ह0, 1220/0.7800ह0 कुल 02किता रकबा 1.0118ह0 पर निर्मित भवन में ही किया जाएगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
2. यह अनापत्ति समिति के नामित सदस्य, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) (जिलाधिकारी के नामित सदस्य), फतेहपुर की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति दिनांक 21जनवरी, 2016 के आधार पर निर्गत की जा रही है तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधिवत अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि में विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
3. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश सं०–3075/सत्तर–2–2002–2 (166)/2002 दिनांक 27.09.2002 एवं समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय एवं न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।
5. पाठ्यक्रम के संचालन पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार सहायता/राजसहायता की मांग नहीं की जाएगी।
6. संस्था द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में भविष्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
7. शासनादेश संख्या–2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2012 दिनांक: 09.08.2012 के अन्तर्गत प्राप्त सम्बद्धता पर प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्बाधन (वलीयरेन्स) प्रस्ताव पर सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जाएगी। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि प्रवेश किये जाते है तो ऐसे प्रवेश वैध नहीं होंगे तथा इसके सम्बन्ध में कोई भी दावा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों/प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि इसमें भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(सय्यद बकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
4. प्रबन्धक/सचिव, प्रस्तावित किरनलता सिंह महाविद्यालय, कौण्डर, असोथर, फतेहपुर।
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

(सय्यद बकार हुसैन)
कुलसचिव

stateuniversity.org
sun@gmail.com

Tel: (0532) 2256207

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सी०पी०आई० परिसर, एम० जी० मार्ग, इलाहाबाद-211001

संख्याः इ0रा0वि0वि0 / सम्बद्धता / 18 / 2016 दिनांकः 07 / 09 / 2016

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेश दिनांक 01.09.2016 के अनुपालन में किरनलता सिंह महाविद्यालय, कौण्डर, असोथर, फतेहपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाजभास्त्र विषयों में प्रति विषय 60 सीट्स के अनुसार कुल 420 सीट्स बी0ए0 पाठ्यक्रम एवं विज्ञान संकाय के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में 240 सीट्स (60×2=120 बायोग्रुप, 60×2=120 मैथ्सग्रुप) बी0एससी0 पाठ्यक्रम स्वकित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01.07.2016 से 03 वर्षो हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. संस्था / महाविद्यालय निरीक्षण आख्या में इंगित समस्त कमियों यथा-याचित पाठ्यक्रम में मानकानुसार शिक्षक पूर्ण कर लेना अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षो में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-15(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों का निराकरण प्रवेश एवं कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व करा लिया जायेगा तथा उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित शपथ-पत्र / अभिलेख महाविद्यालय द्वारा समयान्तर्गत विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम / परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।
7. मा उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522 / सत्तर-2-2013-2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
8. संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था / महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421 / सत्तर-1-2015-16 (20) / 2011, दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
4. प्रबन्धक, किरनलता सिंह महाविद्यालय, कौण्डर, असोथर, फतेहपुर ।
5. परीक्षा नियंत्रक, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
6. उपकुलसचिव, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालय को कालेज कोड एवं कालेज लागिन / पासवर्ड तथा आवंटित सीटें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
7. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव